ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन

(1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत), के संबंध में। संख्या 24085/93
पंजीकृत प्रधान कार्यालय बी-1ए/45ए, जनकपुरी, नई-दिल्ली-10058
कोरस। अध्यक्ष-हाइडल फील्ड छात्रावास का पता, 17 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ-226001
मो: 09415006225 फ़ोन : 0522-4107706(कार्या), FAX:0522-2205417/0522-4079628
ईमेल : ersdubey@yahoo.com/: ersdubeylko@gmail.com & chairmanaipef@gmail.com

संख्या.81-2022/ईए विधेयक 2022 21-10-2022

श्री आर के सिंह
बिजली मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय: 2022 के विधेयक संख्या 187 से संबंधित मामले में: विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 - विद्युत अधिनियम 2003 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक।

आदरणीय महोदय,

1. **प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण:**

बिजली अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों को 2022 के विधेयक संख्या 187 के माध्यम से लेने से पहले, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय मौजूदा क़ानून, (विद्युत अधिनियम 2003) को कैसे और किस तरह से को प्रशासित करता है। तभी प्रस्तावित संशोधनों का विश्लेषण किया जा सकता है।

2. विद्युत अधिनियम 2003 में दो संवैधानिक प्राधिकरणों का संविधान और भूमिका शामिल है, अर्थात (ए) अध्यक्ष सीईआरसी (CRC) (बी) अध्यक्ष एपीटीईएल

(APTEL)। ये दो प्राधिकरण हैं जिन्हें नियामक और टैरिफ मामलों सहित विद्युत अधिनियम 2003 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं और कार्यभार दिए गए हैं।

2.1 सीईआरसी का विश्लेषण:

यह टैरिफ और नियामक मामलों के प्रशासन के लिए प्रमुख प्राधिकरण है। सीईआरसी के अध्यक्ष का पद 12.6.2022 को रिक्त हो गया है और वर्तमान में (अक्टूबर 2022), यह रिक्त पड़ा हुआ है।

2.2 अध्यक्ष सीईआरसी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए रिक्ति परिपत्र संख्या 25/5/21-R&R दिनांक 5.1.22 के साथ 2.2.2022 की अंतिम तिथि के साथ जारी किया गया था। 5.7.21 का पूर्व का आवेदन वैध रहा।

2.4 सीईआरसी के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन विद्युत मंत्रालय के पास 2.2.22 से लंबित है और अध्यक्ष सीईआरसी का पद रिक्त है।

3. अध्यक्ष एपीटीईएल:

एपीटीईएल के अध्यक्ष, संख्या 46/12/20-R&R के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला रिक्ति परिपत्र विद्युत मंत्रालय द्वारा 5.2.21 को आवेदन की अंतिम तिथि 19.3.21 के साथ जारी किया गया था। अध्यक्ष एपीटीईएल का पद 13.8.21 को रिक्त हो गया और रिक्त है।

4. अध्यक्ष सीईआरसी और अध्यक्ष एपीटीईएल के चयन/नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों से स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं:

	अध्यक्ष सीईआरसी	अध्यक्ष एपीटीईएल
आवेदन जमा किया गया	2.2.2022	19.3.2021
पद रिक्त दिनांक	12.6.22	13.8.21

5. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे में सीईआरसी और/या एपीटीईएल को सौंपे गए कार्यों के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो अध्यक्ष का पद खाली रहने पर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इस प्रकार विद्युत मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष सीईए और अध्यक्ष एपीटीईएल की नियुक्ति न करना 2022 के विधेयक संख्या 187 के अक्षर और भावना का उल्लंघन करता है जो विधेयक को अमान्य और अंतिम रूप देने के योग्य नहीं बनाता है। मसौदा विधेयक कैसे अमान्य और अप्रभावी हो गया है, इसके विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं:

5.1 धारा 15:

यदि 90 दिनों में लाइसेंस के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा।

टिप्पणी:

सीईआरसी के अध्यक्ष की गैर नियुक्ति इस प्रावधान को अमान्य करार देती है।

5.2 धारा 42.4बी

टिप्पणी:

ओपन एक्सेस के संबंध में वितरण लाइसेंसधारियों के बीच विवाद के मामले में, विवाद को उपयुक्त आयोग द्वारा तय किया जाना है।

टिप्पणी:

एपीटीईएल की गैर-नियुक्ति या रिक्ति इस प्रावधान को अमान्य कर देगी।

5.3 धारा 59

टिप्पणी:

एक उपयुक्त आयोग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुपालन के नए प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है।

5.4 धारा 61 (जी)

टिप्पणी:

प्रस्तावित संशोधन (अतिरिक्त) कि "टैरिफ बिजली की आपूर्ति के लिए किए गए सभी विवेकपूर्ण लागतों की वसूली करता है" जिसके परिणामस्वरूप एपीटीईएल के समक्ष टैरिफ से संबंधित लगातार चुनौतियां होंगी जो एपीटीईएल के अध्यक्ष के पद के रिक्त होने के कारण निर्णय के लिए संभव नहीं होगा।

5.5 धारा 51(जीए)

टिप्पणी:

उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट क्रॉस-सब्सिडी को कम करना - इस प्रावधान के परिणामस्वरूप एपीटीईएल के समक्ष विवाद और बार-बार आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसे एपीटीईएल के अध्यक्ष के पद को खाली रखने पर संभावित रूप से हल/निर्णय नहीं किया जा सकता है।

5.6 धारा 6.2 (उपधारा 4)

यह खंड “उपयुक्त आयोग” को एक वर्ष में चार बार तक टैरिफ में संशोधन करने की अनुमति देता है।

टिप्पणी:

इस प्रावधान को लागू करने के लिए, राज्य नियामक के साथ-साथ एपीटीईएल का कामकाज आवश्यक है क्योंकि टैरिफ में बदलाव को एपीटीईएल के समक्ष निर्णय के लिए चुनौती दी जा सकती है। एपीटीईएल के अध्यक्ष के अधीन कार्य करना आवश्यक है।

5.7 धारा 64

टिप्पणी:

धारा 64 टैरिफ के लिए स्वत: संज्ञान कार्यवाही की अनुमति देती है यदि टैरिफ याचिका निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं की जाती है। इन कार्यवाही के मामले में, जो एक विवाद की प्रकृति में हैं, स्वत: कार्यवाही से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एपीटीईएल के साथ-साथ सीईआरसी का कामकाज आवश्यक है।

5.8 धारा 63 (उप धारा 3)

टिप्पणी:

मसौदा विधेयक बिजली अधिनियम 2003 के तहत मौजूदा 120 दिनों के बजाय टैरिफ याचिका पर निर्णय लेने के लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित करता है। जबकि मसौदा बिल में टैरिफ निर्धारण अवधि को 30 दिनों तक कम करने का इरादा है, सरकार की कार्रवाई, अध्यक्ष एपीटीईएल और अध्यक्ष सीईआरसी के पद को खाली रखने के लिए भारत सरकार के बिल 1987 के पत्र और भावना के खिलाफ है।

यह सरकार के बीच आत्म-विरोधाभास का एक गंभीर संकेत है जिसमें सरकार, भारत सरकार/विद्युत मंत्रालय एक ओर याचिकाओं पर निर्णय लेने की समय अवधि को कम करने और दूसरी ओर अध्यक्ष एपीटीईएल के पद को खाली रखने की अपनी नीति का खंडन कर रहा है। टैरिफ निर्णय के लिए समय अवधि को 120 दिन से घटाकर 90 दिन करने के प्रस्ताव के साथ एक नया बिल शुरू करने के बजाय, भारत सरकार/विद्युत मंत्रालय को वर्तमान क़ानून विद्युत अधिनियम 2003 के तहत मौजूदा वैधानिक पद को भरने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस अधिनियम के तहत कामकाज को सुव्यवस्थित और तेज किया जा सके। इसके अलावा, जब अध्यक्ष सीईआरसी और अध्यक्ष एपीटीईएल के मौजूदा पदों को विस्तारित अवधि के लिए खाली रखा जा रहा है, तो यह मौजूदा क़ानून का खुला उल्लंघन दर्शाता है जो एक स्वस्थ संकेत नहीं है।

5.9 धारा 77 - अध्यक्ष सीईआरसी की योग्यता

टिप्पणी:

यह एक और मामला है जिसमें भारत सरकार अपनी ही नीति का खंडन कर रही है। जबकि अध्यक्ष सीईआरसी का पद 12.6.22 से खाली है। भारत सरकार के पास अध्यक्ष सीईआरसी के पद की योग्यता में संशोधन करने का कोई आधार नहीं है, जब पद रिक्त और गैर-कार्यात्मक हो। भारत सरकार को मौजूदा क़ानून विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष सीईआरसी के पदों को भरना होगा जो लागू है। इसलिए, सरकार अध्यक्ष के पद के लिए योग्यता में परिवर्तन पर विचार करने से पहले भारत सरकार को पहले उस क़ानून के उल्लंघन को ठीक करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप पद खाली रखा है। सरकार भारत सरकार अध्यक्ष सीईआरसी की योग्यता के मसौदा संशोधन पर विचार करने का हकदार नहीं है, जब पद रिक्त है और विद्युत अधिनियम 2003 के गैर-अनुपालन के कारण अस्तित्व में नहीं है।

5.10 धारा 78

टिप्पणी:

जबकि भारत सरकार एक विधेयक संख्या 187 पर विचार-विमर्श और प्रसंस्करण की प्रक्रिया में है, क़ानून का प्रावधान यानी विद्युत अधिनियम 2003 वैध और पूरी तरह से लागू है। जबकि योग्यता में संशोधन का मुद्दा विचाराधीन है, कठिन तथ्य यह है कि अध्यक्ष सीईआरसी पद 12.6.2022 से रिक्त है जो कि क़ानून का एकमुश्त उल्लंघन है। भारत सरकार को मौजूदा क़ानून यानी विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार नियुक्ति को पूरा करने के लिए एक वर्ष या उससे अधिक समय पहले सीईआरसी के नए अध्यक्ष के चयन के लिए कार्यवाही शुरू करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अध्यक्ष सीईआरसी के पद को खाली रखकर विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन किया गया , भारत सरकार को इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए और इस उल्लंघन को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करना चाहिए।

5.11 धारा 79 (सी)

टिप्पणी:

धारा 79 (सी) के तहत ड्राफ्ट संशोधन बिल उपवाक्य में प्रावधान है कि अध्यक्ष सीईआरसी अनुबंधों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए “न्यायपीठ” का गठन कर सकता है। यह फिर से सरकार के आत्म-विरोधाभासी और आत्म-पराजय के कामकाज का एक संकेत है। जबकि भारत सरकार सीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में विफल रही है और 12.6.22 से इस पद को खाली रखा है कि किस तर्क के साथ पीठ का गठन किया जा सकता है जब पद की रिक्ति के कारण प्राधिकरण यानी अध्यक्ष सीईआरसी मौजूद ही नहीं है।

5.12 धारा 112

टिप्पणी:

इस संशोधन में सरकार भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि एपीटीईएल, जिसमें एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल हैं, एपीटीईएल की संख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में भी यही विसंगति/गलती की गई है क्योंकि एपीटीईएल के अध्यक्ष का पद 13.8.2021 से रिक्त

है। यह फिर से सरकार की ओर से एक आत्म-विरोधाभास और आत्म-पराजय दृष्टिकोण है। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता एपीटीईएल के अध्यक्ष के रिक्त पद को भरना होना चाहिए था। सदस्यों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा बाद में आता है। यह दोहराया जाना चाहिए और जोर दिया जाना चाहिए कि मौजूदा क़ानून, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसका इस मामले में अध्यक्ष एपीटीईएल की नियुक्ति में तेजी लाने का मतलब है। चूँकि अध्यक्ष एपीटीईएल का पद 13.8.21 से खाली पड़ा है, मुद्दा यह है कि सरकार को मौजूदा क़ानून के अनुसार नियुक्तियाँ करने के लिए पहले के कदम उठाने से कोई नहीं रोकता है।

इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि अध्यक्ष एपीटीईएल के पद को खाली रखते हुए, भारत सरकार ने कानून के उल्लंघन की अवधि बढ़ा दी है क्योंकि मौजूदा क़ानून अध्यक्ष का पद खाली रखने के लिए भारत सरकार को अनुमति नहीं देता है। संशोधनों को कैसे और किस समय सीमा के तहत संसाधित और अंतिम रूप दिया जाता है, इस स्तर पर ज्ञात नहीं है। हालाँकि, जो निश्चित रूप से जाना जाता है वह यह है कि सरकार। भारत सरकार ने एपीटीईएल के अध्यक्ष के पद को लंबे समय तक खाली रखकर विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन किया है।

5.13 धारा 142

धारा 142 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है,

“धारा 142 (उपयुक्त आयोग द्वारा निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड): यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त आयोग के समक्ष कोई शिकायत दर्ज की जाती है या यदि वह आयोग संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या आयोग द्वारा जारी किसी भी निर्देश के लिए, उपयुक्त आयोग ऐसे व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी अन्य दंड के पूर्वाग्रह के बिना, निर्देश दे सकता है कि, जिस पर उसे हो सकता है इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी, ऐसा व्यक्ति जुर्माना के रूप में भुगतान करेगा, जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा और एक अतिरिक्त जुर्माना के साथ निरंतर विफलता के मामले में जो हर दिन के लिए छह हजार रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान विफलता इस तरह के पहले निर्देश के उल्लंघन के बाद भी जारी है।”

टिप्पणी:

AIPEF ने एक शिकायत प्रस्तुत की है कि भारत सरकार ने 12.6.22 से अध्यक्ष सीईआरसी के पद को खाली रखकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 77 का उल्लंघन किया है और 13.8.21 से अध्यक्ष एपीटीईएल के पद को खाली रखकर धारा 112 का उल्लंघन किया है।

चूंकि यह साबित किया गया है कि विद्युत मंत्रालय ने उपरोक्त पदों को खाली रखकर वास्तव में विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन किया है, एआईपीईएफ ने फिर से जोर दिया कि पहली प्राथमिकता क़ानून के उल्लंघन को ठीक करना चाहिए जैसा कि पिछले पैरा में बार-बार बताया गया है।

एआईपीईएफ इसलिए मांग करता है कि भारत सरकार को 2022 के संशोधन विधेयक संख्या 187 को तत्काल वापस लेना चाहिए और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष सीईआरसी और अध्यक्ष एपीटीईएल की नियुक्ति के साथ शुरू होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के उल्लंघन को ठीक करने को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।

6. मौजूदा क़ानून, विद्युत अधिनियम 2003 का कार्यान्वयन प्रमुख वैधानिक पदों यानी अध्यक्ष सीईआरसी और अध्यक्ष एपीटीईएल के उचित और सही कामकाज पर निर्भर है। हालाँकि, वर्तमान स्थिति यह है कि भारत सरकार विधेयक संख्या 187 में निहित प्रस्तावों के अनुसार सीईआरसी और एपीटीईएल की नियुक्ति से संबंधित नियमों और शर्तों में संशोधन करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ-साथ, पद क़ानून की किताब तक रह गया है और भारत सरकार के पास इन पदों को खाली रखने का कोई आधार या औचित्य नहीं है। यह सब अधिक प्रासंगिक था क्योंकि अध्यक्ष सीईआरसी और अध्यक्ष एपीटीईएल की रिक्ति सरकार को वर्षों पहले से ज्ञात थी। भारत सरकार के पास प्रचलित क़ानून विद्युत अधिनियम 2003 के नियमों और शर्तों के अनुसार नए पदधारियों को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त समय था।

6.1 कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अर्थात एसीसी की जो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली, मौजूदा क़ानून, विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार ऐसी नियुक्तियों को निपटाने की ज़िम्मेदारी है। इसलिए, सीईआरसी के गैर-कार्यात्मक पदों की वर्तमान

विसंगति और एपीटीईएल के गैर-कार्य के लिए यह एक स्पष्ट उल्लंघन है। विद्युत अधिनियम 2003 जिसके लिए एसीसी और साथ ही विद्युत मंत्रालय पूरी तरह से जवाबदेह हैं।

6.2 डीओपीटी ने सीपीएसयू में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह जारी किया है। ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सीईआरसी या एपीटीईएल में नियुक्तियों के लिए लागू होंगे।

6.3 उदाहरण के लिए, दिशानिर्देशों में से एक यह है कि रिक्ति की तारीख पहले से ज्ञात होने पर पद का विज्ञापन एक वर्ष और 3 महीने पहले किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अध्यक्ष सीईआरसी और अध्यक्ष एपीटीईएल की नियुक्ति में देरी के लिए, उत्तरदायी प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी है जो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एसीसी के अलावा अन्य नहीं है।

6.4 यह आगे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिनियम के इन स्पष्ट और स्थापित उल्लंघनों के लिए, विद्युत अधिनियम 2003 के वर्तमान नियमों और शर्तों के अनुसार अध्यक्ष सीईआरसी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का पालन न करना, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करता है। लागू पंक्तियों को फिर से निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"उपयुक्त आयोग द्वारा निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड: यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त आयोग के समक्ष कोई शिकायत दर्ज की जाती है या यदि वह आयोग संतुष्ट है कि ***<u>किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है।</u>*** *इसके तहत ....."*

7. जैसा कि उपरोक्त पैरा में बताया गया है, भारत सरकार के पास विद्युत अधिनियम 2003 की विशिष्ट धाराओं का उल्लंघन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और संशोधन के लिए अभ्यास मौजूदा क़ानून को खारिज नहीं कर सकता है और न ही होना चाहिए जिसे 2003 में संसद द्वारा पारित किया गया था। आल इंडिया इंजीनियर्स फेडरेशन इसलिए मांग करता है कि संशोधन विधेयक संख्या 187 वापस

लिया जाना चाहिए और भारत सरकार को मौजूदा क़ानून के सही और त्वरित कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।
सस्नेह आपका

शैलेंद्र दुबे

अध्यक्ष

प्रति:

सचिव, विद्युत, भारत सरकार, नई दिल्ली।